

फर्द अहकाम


न्यायालय 520 अमरा
अमरा बनाम गानगा
 मुकदमा संख्या / वर्ष : 53 / 20 22

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

दिनांक 15-03/10/2023 को पत्रावली के माध्यम से


 उप खण्ड अधिकारी
 अमर जयपुर

03/10/2023 परावली पेश हुई। उभय पक्ष
 अधिवक्ता उपस्थित रहने पर
 गयी। अग्रणी शब्दों का कठोर विचार किया।
 परावली वापस आदेश के
 दि. 23/10/2023 को पेश है।


 उप खण्ड अधिकारी
 अमर जयपुर

दि 23/10/23 पी.ओ.सा.के अन्य
 राज कार्य में व्यस्त रहने/समयाभाव
 फलस्वरूप पत्रवाली पूर्वानुसार दि 20/11/23
 को पेश होवे।


दि 20/11/23 पी.ओ.सा.के अन्य
 राज कार्य में व्यस्त रहने/समयाभाव
 फलस्वरूप पत्रवाली पूर्वानुसार दि 11/12/23
 को पेश होवे।

11/12/2023 परावली पेश हुई। वापस अधिवक्ता
 उपस्थित/प्रतिवादी/अग्रणी गये

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि
----------	---------------------------	----------------------	----------

की धारा में पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत
 जवाब देना नहीं विचार किया। अतः
 जवाब सन्तुष्टि के लिए आदेशों में सुना
 गया। पर्याप्तता का अन्तर्गत
 विचार किया।

अतः पूर्व आदेशों के
 दि. 26/12/2022 के अन्तर्गत
 उभयपक्षों से तार्किकता का
 पाठ्य विचार आता है कि का
 अधीन भूमि के अन्तर्गत की
 अध्यादेशों के अन्तर्गत 2011 के
 निम्नान्त तब धारा (Continued)
 विचार आता है। आदेश सुनाया
 गया। पर्याप्तता के अन्तर्गत सुनाया
 होकर उक्त अधिनियम में वस है।


 उप सचिव अधिकारी
 आमेर जयपुर